तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/2505-डीबी

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः **11 अप्रैल, 2023**

+रि.या. (सि.) 4532/2023 और सि.वि.आ.17328/2023

रितु रानी और अन्य ....याचीगण

द्वारा : श्री रजत अरोड़ा और श्री नीरज कुमार अधिवक्तागण।

बनाम

भारत संघ व अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री मनीष कुमार, एसपीसी के साथ श्री वेदांश आनंद (जीपी)।

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

1. वर्तमान याचिका के द्वारा, याचीगण निम्न प्रार्थना करते हैंः

(क) उप महानिरीक्षक (सीआईएसएफ) हवाई अड्डा-उत्तरी क्षेत्र (गृह मंत्रालय) के कार्यालय द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2023 को जारी उत्तर क्षेत्र हवाई अड्डा सेवा आदेश संख्या 11/2023 को रद्द किया जाए जो दोनों याचीगण अर्थात् पति पत्नी से सम्बंधित है|

ख. सीआईएसएफ महानिदेशालय के कार्यालय द्वारा दिनांक 25.09.2017 को जारी परिपत्र संख्या 22/2017 के सम्बन्ध में प्रत्यर्थीगण को गृह क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाए ।

2.नोटिस जारी किया जाए ।

3. अग्रिम नोटिस पर प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता श्री मनीष कुमार इस न्यायालय का ध्यान दिनांक 05.04.2023 के स्थानांतरण आदेश के खंड 7 की ओर दिलाया है जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि “दिनांक 12.04.2023 के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।"" "."

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्यर्थीगण को वर्तमान याचिका को याचीगण द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के रूप में मानने और आज से दो सप्ताह के भीतर अंतिम तर्कसंगत निर्णय लेने और उसके बाद तीन दिनों के भीतर याचीगण को उसके निर्णय की सूचना देने का निर्देश

देते हुए वर्तमान याचिका का निपटान करते हैं।

5. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका के साथ-साथ लंबित आवेदन का निपटान कर दिया गया है।

6. जब तक प्रत्यर्थीगण द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक याचिकाकर्ता नं.1 और याचिकाकर्ता नं. 2.के स्थानांतरण आदेश दिनांक 05.04.2023 को रोका जाता है |

7.यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचीगण प्रत्यर्थीगण के निर्णय से व्यथित महसूस करते हैं, तो वे उचित फोरम में जा सकते हैं।

8. कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर के अधीन आदेश दिया जाए।

(सुरेश कुमार कैत)

न्यायमूर्ति

(नीना बंसल कृष्णा)

न्यायमूर्ति

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/2505-डीबी

11अप्रैल, 2023/एबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*